

झारखण्ड सरकार  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-  
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022-

संजय कुमार  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-  
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
देवघर एवं गिरिडीह।

राँची, दिनांक:-

विषय:-

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्या का देवघर एवं गिरिडीह जिले में भ्रमण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन आयोग के अन्य 3-4 कर्मियों के साथ दिनांक-25.09.2023 से दिनांक-27.09.2023 तक देवघर एवं गिरिडीह जिले के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा लंबित परिवाद-पत्रों की सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा जिले के सभी पंचायतों के मुखिया से संवाद किया जायेगा।

आयोग का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत् है:-

- दिनांक-25.09.2023 - पूर्वाह्न 10.00 बजे राँची से प्रस्थान कर अपराह्न 05.00 बजे देवघर परिसदन भवन में आगमन।
  - रात्रि विश्राम परिसदन भवन, देवघर में।
  - दिनांक-26.09.2023 - पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक परिसदन भवन, देवघर में सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा PDS, MDM, ICDS एवं MTC से सम्बन्धित योजनाओं की सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।
  - अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक देवघर जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।
  - अपराह्न 05.00 बजे गिरिडीह के लिए प्रस्थान।
- दिनांक-26.09.2023-अपराह्न 05.00 बजे देवघर से प्रस्थान कर अपराह्न 06.00 बजे परिसदन भवन, गिरिडीह में आगमन।
  - रात्रि विश्राम गिरिडीह परिसदन भवन में।
  - दिनांक-27.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक परिसदन भवन, गिरिडीह में सुनवाई एवं जनसुनवाई तथा PDS, MDM, ICDS एवं MTC से सम्बन्धित योजनाओं की सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।
  - अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।
  - अपराह्न 05.00 बजे राँची के लिए प्रस्थान।
- दिनांक 26.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक देवघर में एवं दिनांक-27.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक गिरिडीह में सुनवाई एवं जन सुनवाई :- जन सुनवाई में जिले के लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, यथा-जनवितरण, पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन), आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना

योजना से सम्बन्धित अपनी शिकायत रख सकते हैं। इस सुनवाई में जिले के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सिविल सर्जन उपस्थित रहेंगे, ताकि शिकायतों का निपटारा तत्काल किया जा सके।

इस भ्रमण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आपसे निम्न कार्रवाई अपेक्षित है:-

- अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, देवघर एवं गिरिडीह दल के प्रवास के दौरान क्रमशः देवघर एवं गिरिडीह परिसदन भवन में रात्रि विश्राम हेतु पर्याप्त संख्या में कमरे आरक्षित कराएँगे।
- मुखिया के साथ संवाद का स्थल निर्धारित करते हुए स्थल की विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
- जन सुनवाई का प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
- मुखिया से संवाद हेतु उक्त जिले के मुखियागण को सम्बन्धित जिला द्वारा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहने सम्बन्धी सूचना दी जाए।
- समीक्षा बैठक से सम्बन्धित पदाधिकारियों को ससमय अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने हेतु सूचित करेंगे।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त के सन्दर्भ में उपायुक्त से विमर्श कर दिनांक- 31.08.2023 तक स्थिति से अवगत कराने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन का क्या-क्या सहयोग रहेगा, इसकी भी जानकारी दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:-

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022-

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, देवघर एवं गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

राँची, दिनांक:- 25.08.2023

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (विविध) 22/2022- 623

प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।